न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 21.12.2004 जिसके तहत प्रार्थी रमेशचन्द पुत्र रामनाथ को वाके सुनगाडी में खसरा नम्बर 150 रकबा 0.68 है. का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 29.08.2024

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सुनगाडी तहसील बसवा जिला दौसा में रमेशचन्द पुत्र रामनाथ को भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 0.68 है. भूमि दिनांक 21.12.2004 में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 01.03.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 के खाता संख्या 107 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का उनबडागांव से करवाई जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2022 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना पाया तथा मौके पर भूमि पडत पडी हुई है। आवंटी का मौके पर कब्जा होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने के कारण आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर जरिये तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी उपस्थित आये एवं अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटी को ग्राम सुनगाडी तहसील बसवा जिला दौसा में अप्रार्थी रमेश चन्द पुत्र रामनाथ को खसरा नम्बर 150 रकबा 0.68 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की शर्तो के अनुसार दिनांक 21.12.2004 को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 01.03.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 के खाता संख्या 107 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष की अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है। इसी शर्त के साथ आवंटी को भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु आवंटी का आवंटनशुदा भूमि पर न तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी द्वारा कोई काश्त की गई। अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि मौके पडत पडी हुई है तथा मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन की शतों का उल्लंघन करने से उक्त आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 01.03.2005 दर्ज है वास्तविकता में अप्रार्थी रमेश चन्द पुत्र रामनाथ को उक्त भूमि आवंटन के पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2064—2067 में गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया तभी से ही अप्रार्थी की खसरा नम्बर 150 रकबा 0.68 है. पर कब्जा चला आ रहा है। जिसकी प्रार्थी के पक्ष में पट्टा कब्जा रसीद भी जारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जा चुकी है। अप्रार्थी बतौर काश्तकार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी के हक में उक्त भूमि आवंटन के पश्चात् वर्ष 2005 में करन सिंह पुत्र मानसिंह व रतन सिंह पुत्र कालूराम ने अप्रार्थी के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त करवाने के लिये प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 31.08.2006 के द्वारा करन सिंह व रतन सिंह का प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज कर अप्रार्थी रमेश चन्द के नाम हुये आवंटन को वैध ठहराया व अप्रार्थी रमेश चन्द का आवंटित भूमि पर कब्जा प्रमाणित माना है। इसके बाद उक्त निर्णय के खिलाफ रतन सिंह पुत्र कालू सिंह ने अपील अन्तर्गत धारा 75 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा प्रस्तुत की। जिसके न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2008 को खारिज कर न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 31.08.2006 सही ठहराया। इसके बाद भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.12.2008 के खिलाफ द्वितीय अपील माननीय रेवेन्यू बोर्ड में प्रस्तुत की गई। माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा दिनांक 16.06.2009 को निर्णय पारित कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को सही मानते हुये रतन सिंह की द्वितीय अपील खारिज कर दी। अप्रार्थी उक्त भूमि अपने मवेशियों के उपयोग उपभोग में लेता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अस्थाई झोपडीनुमा छप्पर बना रखा है। जिसका उपयोग अप्रार्थी आवंटित भूमि पर फसल की देखभाल के समय करता है। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा सम्वत 2068 से 2071 की खसरा गिरदावरी अनुसार सम्वत 2068 में बाजरा, सम्वत 2069 में बाजरा, सम्वत 2070 में बाजरा व सरसों व सम्वत 2071 में बाजरा व सरसों की फसल काश्त की है। इस प्रकार आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना पूर्ण रूप से की गई है। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन के पश्चात् गैर खातेदारी अधिकारी दिये जा चुके है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अप्रार्थी रमेश चन्द पुत्र रामनाथ को ग्राम सुनगाडी तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 0.68 है. भूमि का दिनांक 21.12.2004 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उसके बाद अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 01.03.2005 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 जिसके तहत प्रार्थी रमेशचन्द पुत्र रामनाथ बहक रमेश चन्द पुत्र रामनाथ भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 0.68 है. भूमि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) जो कि वर्ष 2005 में करन सिंह पुत्र मानसिंह व रतन सिंह पुत्र कालूराम ने प्रस्तुत किया था, जिसको इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2006 द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं उक्त निर्णय दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध की गई प्रथम अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2008 को एवं द्वितीय अपील माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा दिनांक 16.06.2009 को खारिज कर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन दिनांक 21.12.2004 यथावत रखा गया है। अप्रार्थी को गैर खातेदारी अधिकारी मिल चुके है तथा सम्वत 2068 से 2071 की खसरा गिरदावरी अनुसार अप्रार्थी द्वारा सम्वत 2068 में बाजरा, सम्वत 2069 में बाजरा, सम्वत 2070 में बाजरा व सरसों व सम्वत 2071 में बाजरा व सरसों की फसल काश्त की है। जिससे स्पष्ट है कि आवंटी अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित की गई भूमि का उपयोग कर उक्त भूमि पर काश्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 खारिज किया जाता है। मूल आंवटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जाकर तहसीलदार [illegible] प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अ[illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official